

भारत सरकार  
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय  
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग  
लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 432

मंगलवार, 01 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

**पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान**

**\*432. श्री अजय भट्ट:**

**श्री रॉबर्ट ब्रूस सी.:**

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत से अब तक इसके तहत कितनी प्रगति हुई है;
- (ख) उक्त योजना के तहत वर्षवार कुल कितनी धनराशि जारी की गई है;
- (ग) उक्त योजना के तहत विभिन्न विभागों/मंत्रालयों द्वारा कितनी प्रमुख परियोजनाओं को चिह्नित किया गया है और उनका ब्यौरा क्या है एवं उनकी अनुमानित लागत कितनी है;
- (घ) क्या इस योजना में प्रारंभ में शामिल किए गए 21 मंत्रालयों के अलावा इसमें किन्हीं नए मंत्रालयों को भी शामिल किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) तिरुनेलवेली जिले के अंतर्गत उक्त योजना के तहत शामिल स्थलों का ब्यौरा क्या है;
- (च) उक्त योजना के तहत उत्तराखंड में शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और
- (छ) बुनियादी ढांचा संबंधी परियोजनाओं की निरंतर आयोजना और समयबद्ध समन्वित निष्पादन के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**वाणिज्य और उद्योग मंत्री  
(श्री पीयूष गोयल)**

**(क) से (छ):** विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

दिनांक 01.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 432 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (पीएमजीएस एनएमपी) की शुरुआत 13 अक्टूबर 2021 को की गई थी। इसकी शुरुआत के बाद से, इसमें काफी प्रगति की गई है जिसमें भूस्थानिक प्लेटफॉर्म का विकास, एकाधिक डाटा लेयर्स का एकीकरण, अवसंरचना विकास (आर्थिक और सामाजिक अवसंरचना सहित) के लिए प्लानिंग टूल्स का निर्माण तथा पदाधिकारियों का क्षमता निर्माण शामिल है। नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) के रूप में एक व्यवस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है, जिसके तहत एकीकृत प्लानिंग, मल्टीमोडेलिटी, इंटर-मोडेलिटी, प्रयासों की एकरूपता, परियोजना स्थल तथा उसके आसपास व्यापक विकास और डाटा-आधारित निर्णय लेने के लिए अवसंरचनागत परियोजनाओं (500 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत वाली) का मूल्यांकन किया जाता है।

अद्यतन स्थिति के अनुसार, 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा 8 अवसंरचना, 16 सामाजिक, 15 आर्थिक क्षेत्र के और 5 अन्य मंत्रालयों सहित 44 केंद्रीय मंत्रालयों को पीएम गतिशक्ति एनएमपी में शामिल किया गया है। 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की 934 लेयर्स और 44 केंद्रीय मंत्रालयों की 718 लेयर्स सहित 1652 डाटा लेयर्स को पीएमजीएस एनएमपी पर एकीकृत किया गया है। पीएमजीएस के तहत की गई वर्ष-वार प्रगति **अनुबंध-क** पर दी गई है।

(ख): 'वर्ष 2022-23 के लिए पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता स्कीम' के भाग-II (पीएमजीएस संबंधी व्यय के लिए) के जरिए वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने अवसंरचना विकास के लिए राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 5000 करोड़ रुपये के संवितरण का प्रावधान किया है।

'पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता स्कीम' के भाग-II के तहत अनुमोदित की गई राज्यों की परियोजनाओं तथा आबंटित निधि का ब्यौरा **अनुबंध-ख** में दिया गया है।

(ग): पीएमजीएस के तहत आयोजित नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) की 89 बैठकों में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों की 12.45 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 260 अवसंरचना परियोजनाओं का मूल्यांकन एकीकृत प्लानिंग दृष्टिकोण का आकलन करने, प्रथम और अंतिम बिंदु तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने और क्षेत्र-आधारित व्यापक सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। इन परियोजनाओं का मंत्रालय/विभाग-वार विवरण नीचे दिया गया है:

| क्रम सं. | मंत्रालय/विभाग   | परियोजनाओं की संख्या | कुल अनुमानित लागत (करोड़ रुपए में) |
|----------|--|----------------------|------------------------------------|
| 1        | नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  | 1                    | 20,774                             |
| 2        | नागर विमानन मंत्रालय   | 4                    | 6,364                              |
| 3        | आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय   | 16                   | 169,177                            |
| 4        | पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय   | 4                    | 9,056                              |
| 5        | पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय  | 3                    | 49,759                             |
| 6        | रेल मंत्रालय   | 93                   | 257,632                            |
| 7        | सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय   | 126                  | 699,195                            |
| 8        | राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम (एनआईसीडीसी), डीपीआईआईटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय | 12                   | 28,693                             |
| 9        | इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  | 1                    | 4,680                              |
|          | <b>कुल योग</b>   | <b>260</b>           | <b>1,245,329</b>                   |

- (घ): अद्यतन स्थिति के अनुसार, 8 अवसंरचना, 16 सामाजिक, 15 आर्थिक और 5 अन्य मंत्रालयों सहित 44 केंद्रीय मंत्रालयों को पीएमजीएस एनएमपी में शामिल किया गया है। इसका ब्यौरा **अनुबंध-ग** में दिया गया है।
- (ङ): पीएमजीएस के तहत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप द्वारा मूल्यांकित 260 परियोजनाओं, जैसा कि उपर्युक्त भाग (ग) में दिया गया है, में से 07 परियोजनाएं तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आती हैं। इसका ब्यौरा **अनुबंध-घ** में दिया गया है।
- (च): पीएमजीएस के तहत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप द्वारा योजनाबद्ध और मूल्यांकित 260 प्रमुख परियोजनाओं, जैसा कि उपर्युक्त भाग (ग) में दिया गया है, में से 03 परियोजनाएं उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आती हैं। इसका ब्यौरा **अनुबंध-ड** में दिया गया है।

(छ): अवसंरचना परियोजनाओं की एकीकृत प्लानिंग के लिए नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) के रूप में एक व्यवस्थागत तंत्र और एक समर्पित जीआईएस-आधारित पोर्टल (पीएमजीएस एनएमपी) बनाया गया है। एनएमपी पोर्टल केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र प्लानिंग और डाटा-संचालित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) तंत्र को व्यवस्थागत बनाया गया है जिसके तहत एनपीजी की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं, जिसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), रक्षा मंत्रालय (एमओडी), नीति आयोग और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ सभी अवसंरचना मंत्रालयों के हितधारकों को एक साथ लाया जाता है। एनपीजी, पीएमजीएस के सिद्धांतों जैसे एकीकृत प्लानिंग, मल्टी-मोडेलिटी, इंटर मोडेलिटी, समग्र सरकारी दृष्टिकोण तथा अंतिम बिंदु तक कनेक्टिविटी आदि के आधार पर परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है।

\*\*\*\*\*

दिनांक 01.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 432 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

**वर्ष 2021-2022**

- पीएमजीएस एनएमपी की शुरुआत की गई।
- एनपीजी के व्यवस्थागत तंत्र की स्थापना की गई।
- अवसंरचना मंत्रालयों को शामिल करने की शुरुआत।
- पीएमजीएस एनएमपी प्लेटफॉर्म पर अवसंरचना मंत्रालयों की परिसम्पत्तियों की मैपिंग और अवसंरचना परियोजनाओं की प्लानिंग
- प्लानिंग के लिए पीएमजीएस एनएमपी के इस्तेमाल हेतु केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के क्षमता निर्माण की शुरुआत।

**वर्ष 2022-23**

- 8 मुख्य अवसंरचना मंत्रालयों को शामिल किया गया।
- राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल पर अवसंरचना मंत्रालयों की परिसम्पत्तियों की मैपिंग और अवसंरचना परियोजनाओं की प्लानिंग।
- केंद्रीय मंत्रालयों की 71 अवसंरचना परियोजनाओं का एनपीजी में मूल्यांकन किया गया।
- प्लानिंग के लिए पीएमजीएस एनएमपी के इस्तेमाल हेतु केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों का क्षमता निर्माण जारी रखा गया।

**वर्ष 2023-24**

- सामाजिक क्षेत्र के 16 मंत्रालयों को शामिल किया गया।
- पीएमजीएस एनएमपी पोर्टल पर सामाजिक क्षेत्र के मंत्रालयों की परिसम्पत्तियों की मैपिंग।
- केंद्रीय मंत्रालयों की 73 अवसंरचना परियोजनाओं का एनपीजी में मूल्यांकन किया गया।
- मंत्रालयों द्वारा पीएमजीएस एनएमपी पोर्टल पर अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं की प्लानिंग।
- प्लानिंग के लिए पीएमजीएस एनएमपी के इस्तेमाल हेतु केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों का क्षमता निर्माण जारी रखा गया।

**वर्ष 2024-25**

- आर्थिक क्षेत्र के 15 मंत्रालयों को शामिल किया गया।
- पीएमजीएस एनएमपी पोर्टल पर आर्थिक क्षेत्र के मंत्रालयों की परिसम्पत्तियों की मैपिंग।
- केंद्रीय मंत्रालयों की 116 अवसंरचना परियोजनाओं का एनपीजी तंत्र के जरिए मूल्यांकन किया गया।
- मंत्रालयों द्वारा पीएमजीएस एनएमपी पोर्टल पर परियोजना प्लानिंग।
- जिला स्तर पर क्षेत्र विकास दृष्टिकोण को अपनाकर भू-स्थानिक डाटा आधारित प्लानिंग को सक्षम बनाने हेतु 28 आकांक्षी जिलों के लिए जिला मास्टर प्लान (डीएमपी) की शुरुआत की गई।
- प्लानिंग के लिए पीएमजीएस एनएमपी के इस्तेमाल हेतु केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों का क्षमता निर्माण जारी रखा गया।

\*\*\*\*\*

दिनांक 01.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 432 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

| क्रम.सं. | राज्य          | व्यय विभाग द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या | व्यय विभाग द्वारा अनुमोदित पूंजीगत व्यय (करोड़ रुपए में) |
|----------|----------------|---|--|
| 1        | पश्चिम बंगाल   | 30  | 376  |
| 2        | चंडीगढ़        | 27  | 168.42   |
| 3        | बिहार          | 21  | 502.92   |
| 4        | उत्तर प्रदेश   | 15  | 896.91   |
| 5        | मध्य प्रदेश    | 11  | 393  |
| 6        | महाराष्ट्र     | 8   | 316  |
| 7        | तमिलनाडु       | 8   | 204  |
| 8        | राजस्थान       | 7   | 301  |
| 9        | असम            | 6   | 156  |
| 10       | नागालैंड       | 5   | 28.43  |
| 11       | केरल           | 4   | 96   |
| 12       | त्रिपुरा       | 4   | 35   |
| 13       | गुजरात         | 3   | 174  |
| 14       | हरियाणा        | 3   | 55   |
| 15       | झारखंड         | 3   | 165  |
| 16       | मणिपुर         | 3   | 36   |
| 17       | हिमाचल प्रदेश  | 3   | 42   |
| 18       | अरुणाचल प्रदेश | 3   | 87.85  |
| 19       | आंध्र प्रदेश   | 2   | 202  |
| 20       | कर्नाटक        | 2   | 182  |
| 21       | मेघालय         | 2   | 38   |
| 22       | मिजोरम         | 2   | 25   |
| 23       | उत्तराखंड      | 2   | 56   |
| 24       | गोवा           | 1   | 19   |
| 25       | पंजाब          | 1   | 90   |
| 26       | सिक्किम        | 1   | 19   |
| 27       | तेलंगाना       | 1   | 100  |
| 28       | ओडिशा          | 0   | 0  |
|          | <b>कुल</b>     | <b>178</b>                                      | <b>4764.53</b>   |

स्रोत: वर्ष 2022-23 के लिए पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता स्कीम के भाग-II के तहत परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए व्यय विभाग का कार्यालय ज्ञापन

\*\*\*\*\*

दिनांक 01.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 432 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

**पीएमजीएस एनएमपी में शामिल मंत्रालयों की सूची**

| अवसंरचना (8 मंत्रालय, 1 विभाग)  |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| क्रम सं.                        | मंत्रालय का नाम  | विभाग   |
| 1                               | रेल मंत्रालय (एमओआर)                                   |   |
| 2                               | सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच)           |   |
| 3                               | नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए)                          |   |
| 4                               | पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) |   |
| 5                               | पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी)       |   |
| 6                               | संचार मंत्रालय   | संचार विभाग (डीओटी)   |
| 7                               | विद्युत मंत्रालय (एमओपी)                               |   |
| 8                               | नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई)              |   |
| अन्य (5 मंत्रालय)               |  |   |
| 1                               | रक्षा मंत्रालय   |   |
| 2                               | उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय                    |   |
| 3                               | सहकारिता मंत्रालय                                      |   |
| 4                               | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय               |   |
| 5                               | गृह मंत्रालय   |   |
| सामाजिक (16 मंत्रालय, 11 विभाग) |  |   |
| 1                               | आयुष मंत्रालय  |   |
| 2                               | संस्कृति मंत्रालय                                      |   |
| 3                               | शिक्षा मंत्रालय  | उच्चतर शिक्षा विभाग<br>स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग                 |
| 4                               | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय                    | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग<br>स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग          |
| 5                               | जल शक्ति मंत्रालय                                      | पेयजल और स्वच्छता विभाग<br>जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग |
| 6                               | श्रम और रोजगार मंत्रालय                                |   |
| 7                               | आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए)                |   |
| 8                               | अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (एमओएमए)                     |   |
| 9                               | पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर)                         |   |
| 10                              | ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी)                       |   |
| 11                              | कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई)            |   |
| 12                              | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय                    | सामाजिक न्याय विभाग<br>दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग                     |

|                                       |   |   |
|---------------------------------------|---|---|
| 13                                    | युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (एमओएसवाईए)                    | खेल विभाग<br>युवा कार्यक्रम विभाग                                       |
| 14                                    | जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए)                               |   |
| 15                                    | पर्यटन मंत्रालय   |   |
| 16                                    | महिला और बाल विकास मंत्रालय (एमओडब्ल्यूसीडी)                  |   |
|                                       | संचार मंत्रालय*   |   |
|                                       | *इस मंत्रालय की गणना अवसंरचना मंत्रालयों में की जा चुकी है    | डाक विभाग   |
| <b>आर्थिक (15 मंत्रालय, 10 विभाग)</b> |   |   |
| 1                                     | वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (एमओसीआई)                          | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग<br>(डीपीआईआईटी)<br>वाणिज्य विभाग |
| 2                                     | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय                                |   |
| 3                                     | रसायन और उर्वरक मंत्रालय                                      | उर्वरक विभाग<br>रसायन और पेट्रोरसायन विभाग<br>औषध विभाग                 |
| 4                                     | उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय                    | खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग<br>उपभोक्ता मामले विभाग                  |
| 5                                     | कोयला मंत्रालय  |   |
| 6                                     | पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय                                       |   |
| 7                                     | इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय<br>(एमईआईटीवाई) |   |
| 8                                     | मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय                         | पशुपालन और डेयरी विभाग<br>मत्स्यपालन विभाग                              |
| 9                                     | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय                              |   |
| 10                                    | भारी उद्योग मंत्रालय  |   |
| 11                                    | खान मंत्रालय  |   |
| 12                                    | इस्पात मंत्रालय   |   |
| 13                                    | वस्त्र मंत्रालय   |   |
| 14                                    | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई)                |   |
| 15                                    | वित्त मंत्रालय  | राजस्व विभाग  |

\*\*\*\*\*



दिनांक 01.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 432 के भाग (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

तमिलनाडु के अंतर्गत आने वाली एनपीजी परियोजनाएं

| क्रम सं. | वर्ष    | परियोजना  | मंत्रालय  | अनुमानित लागत (करोड़ रुपए में) | राज्य                    |
|----------|---------|---|-----------|--------------------------------|--------------------------|
| 1        | 2022-23 | चेन्नई - त्रिची - तूतीकोरिन एक्सप्रेस (चेन्नई - त्रिची एक्सप्रेस और तंजावुर (पिलैयारपट्टी) - तूतीकोरिन)   | एमओआरटीएच | 30,502.00                      | तमिलनाडु                 |
| 2        | 2024-25 | <p><b>पैकेज-I (तमिलनाडु)</b> - तिरुवल्लूर से तमिलनाडु/आंध्र प्रदेश सीमा तक एनएच-716 को चार लेन का बनाना</p> <p><b>पैकेज-II (आंध्र प्रदेश)</b> - तमिलनाडु/आंध्र प्रदेश सीमा से पुत्तूर तक एनएच-716 को चार लेन का बनाना</p> <p>तथा मल्लावरम जंक्शन से रेनीगुंटा जंक्शन तक एनएच-71 को छह लेन का बनाना</p> <p><b>पैकेज-I (तमिलनाडु)</b> - तिरुवल्लूर से तमिलनाडु/आंध्र प्रदेश सीमा तक एनएच-716 को चार लेन का बनाना</p> <p><b>पैकेज-II (आंध्र प्रदेश)</b> - तमिलनाडु/आंध्र प्रदेश सीमा से पुत्तूर तक एनएच-716 को चार लेन का बनाना</p> <p>तथा मल्लावरम जंक्शन से रेनीगुंटा जंक्शन तक एनएच-71 को छह लेन का बनाना</p> | एमओआरटीएच | 1,981.97                       | तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश |
| 3        | 2024-25 | मदुरई-कोल्लम आईसीआर   | एमओआरटीएच | 2,849.22                       | तमिलनाडु                 |
| 4        | 2024-25 | मदुरई-धनुषकोडी  | एमओआरटीएच | 1,482.40                       | तमिलनाडु                 |
| 5        | 2024-25 | चेन्नई-महाबलीपुरम-पुदुच्चेरी  | एमओआरटीएच | 1,614.58                       | तमिलनाडु                 |
| 6        | 2024-25 | थोप्पुर घाट खंड के अलाइनमेंट में सुधार  | एमओआरटीएच | 920.76                         | तमिलनाडु                 |
| 7        | 2024-25 | होसुर - ओमालुर डबलिंग   | रेल       | 1,832                          | तमिलनाडु                 |

\*\*\*\*\*

दिनांक 01.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 432 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

उत्तराखंड के अंतर्गत आने वाली एनपीजी परियोजनाएं

| क्रम सं. | वर्ष    | परियोजनाएं   | मंत्रालय   | अनुमानित लागत<br>(करोड़ रुपए में) | राज्य     |
|----------|---------|--|------------|-----------------------------------|-----------|
| 1        | 2022-23 | देहरादून मेट्रो निओ परियोजना   | एमओएचयूए   | 1,852.74                          | उत्तराखंड |
| 2        | 2022-23 | उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के खुरपिया फार्म में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी) का विकास   | एनआईसीडीसी | 1265.37                           | उत्तराखंड |
| 3        | 2023-24 | उत्तराखंड राज्य में सीएच. 368.00 किमी से 468.00 किमी (एनएच-07) पर 20 भूस्खलन एवं 11 धंसाव क्षेत्रों के लिए शमन उपाय और बीच में 2 पुलों के लिए ईपीसी मोड पर निर्माण | एमओआरटीएच  | 719.41                            | उत्तराखंड |

\*\*\*\*\*